A 4/1

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 89/2017

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण		शान्ति पत्नी मोती कौम सरगरा निवासी आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार अनुपस्थित
अप्रार्थिया स्वयं उपस्थित

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 8/7/20

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु II तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थिया के पति के हक में रकबा 12 बीघा किस्म बा.अ. का आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1/25 पड़े को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब़ किया गया। बहस अप्रार्थिया सुनी गई।

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु II, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थिया के पति के हक में रकबा 12 बीघा किस्म बा.दो. का आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1/25 पडे, जो खतौनी बन्दोबस्त अनुसार खसरा नम्बर 1 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थिया के पति मोती पुत्र हजारी के पक्ष में आवंटन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 17.07.1970 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. भूमि किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से गै. मु. नदी में आवंटन ... आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:28:27 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

A 4/2

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1970 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 06.05.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 628 दिनांक 10.06.1981 एवं 1170 दिनांक 06.12.2004 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

हाजिर अदालत अप्रार्थिया ने वक्त बहस कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उनके पति के देहान्त हो चुका है तथा जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर उसका कब्जा–काश्त नहीं है। न ही उसे पता है कि उक्त भूमि कहां स्थित है वर्तमान में वह वृद्ध एवं निःसंतान है जो खेती का कार्य नहीं कर सकती है इसलिए जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज किया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है।

अप्रार्थिया की कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु II तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर, अप्रार्थिया के पति के हक में रकबा 12 बीघा किस्म बा.अं. का आवंटन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1/25 पडे, जो पत्रावली संलग्न खतौनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थिया के पति श्री मोती पुत्र हजारी कौम सरगरा को आवंटन अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.07.1970 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 06.05.1971 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अप्रार्थिया के पति को गैर खातेदार दर्ज किया गया, इसके पश्चात जरिये ना.स. 628 दिनांक 06.10.1981 के द्वारा अप्रार्थिया के पति को दस वर्ष पूर्ण हो जाने से खातेदार दर्ज किया गया, इसके पश्चात मोती के देहान्त हो जाने से अप्रार्थिया शान्ति को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1170 दिनांक 06.12.2004 के द्वारा दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थिया के पति के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है तथा स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1970 तथा उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 06.05.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 628 दिनांक 10.06.1981 एवं 1170 दिनांक 06.12.2004 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:28:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

A 4/3

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थिया के पति स्व. मोती पुत्र हजारी कौम सरगरा निवासी आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन अधिकारी द्वारा जो आवंटन किया गया, उक्त आदेश दिनांक 17.07.1970 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 06.05.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 628 दिनांक 10.06.1981 एवं 1170 दिनांक 06.12.2004 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर बारानी दोयम से पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:28:27 IST
Reason: SelfAttested